

## प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना – नियमवाली

### योजना का ब्यौरा:

योजना की कवर अवधि एक वर्ष है जिसका नवीकरण प्रत्येक वर्ष किया जा सकता है . यह दुर्घटना बीमा योजना है जिसके तहत दुर्घटनावश मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में बीमा कवर प्रदान किया जाएगा.

**लाभ:** निम्न तालिकानुसार:

	<b>लाभ तालिका</b>	<b>बीमा राशि</b>
1.	मृत्यु	2 लाख रु.
2.	दोनों आँखों की कुल तथा अपूर्णनीय क्षति अथवा दोनों हाथों अथवा दोनों पैरों का काम करने में अक्षम होना अथवा एक आँख की नज़र खो जाना और एक हाथ या पैर का काम करने में अक्षम होना.	2 लाख रु.
3.	एक आँख की नज़र की कुल तथा अपूर्णनीय क्षति या एक हाथ अथवा एक पैर का काम करने में अक्षम होना.	1 लाख रु.

### प्रीमियम:

- प्रत्येक सदस्य से 12/- रु. के साथ सेवा कर , यदि कोई हो , का वार्षिक प्रीमियम लिया जाएगा.
- यह प्रीमियम राशि खाताधारी के बचत बैंक खाते से 'स्वतःनामे' सुविधा के अनुसार एक किस्त में ही प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि पर योजना के तहत 1 जून को अथवा इससे पूर्व काट ली जाएगी.
- तथापि यदि स्वतःनामे की सुविधा से 1 जून के बाद प्रीमियम राशि काटी जाएगी तो योजना के तहत बीमा कवर की सुविधा खाते से स्वतःनामे राशि कटने के आगामी माह के पहले दिन से ही उपलब्ध होगी.
- वार्षिक दावा अनुभव के आधार पर प्रीमियम की समीक्षा की जाएगी . अतिशय प्रकार के अनपेक्षित प्रतिकूल परिणामों के अलावा यह प्रयास किया जाएगा कि प्रथम तीन वर्षों में प्रीमियम को बढ़ाया न जाए.

### पात्रता की शर्तें:

बैंक के 18 वर्ष (पूर्ण) और 70 वर्ष (जन्मदिन की निकटतम आयु) के बीच की आयु वाले बचत बैंक खाता धारकों, जिन्होंने योजना में शामिल होने के लिए / स्वतःनामे हेतु अपनी सहमति दी है, को उपर्युक्त तौर-तरीकों के अनुसार इस योजना में नामांकित किया जाएगा.

#### **कवरेज का दायरा:**

- बैंक के 18 से 70 वर्ष की आयु वाले सभी बचत बैंक खाता खाताधारक इस योजना में शामिल होने के हकदार हैं.
- यदि किसी व्यक्ति के एक अथवा विभिन्न बैंकों में कई बचत बैंक खाते हैं तो वह व्यक्ति केवल एक बचत बैंक खाते के द्वारा ही इस योजना में शामिल हो सकता है.
- बैंक खाते के लिए आधार कार्ड प्राथमिक केवाईसी होगा.

#### **नामांकन तौर-तरीके/ अवधि:**

- बीमा कवर 1 जून से 31 मई तक की एक वर्ष की अवधि के लिए होगा जिसमें शामिल होने के लिए नामित बचत बैंक खाते से स्वतः नामे द्वारा नामांकन / भुगतान करने के लिए निर्धारित प्रपत्रों पर प्रति वर्ष 31 मई तक विकल्प प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, प्रारम्भिक वर्ष के लिए यह अवधि 31 अगस्त 2015 तक बढ़ाई जा सकती है.
- शुरुआत में इस योजना में शामिल होने की अवधि को भारत सरकार द्वारा आगे और 3 माह अर्थात् 30 नवंबर 2015 तक के लिए बढ़ाया जा सकता है.
- विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत पूर्ण वार्षिक प्रीमियम की अदायगी पर बाद में योजना में शामिल हो सकते हैं. हालांकि, आवेदक अपने नामांकन/ खाते से स्वतः नामे के लिए अनिश्चितकालीन / दीर्घावधि विकल्प प्रस्तुत कर सकता है, जो विगत अनुभव के आधार पर संशोधित शर्तों के साथ योजना के जारी रहने के तहत होगा.
- इस योजना से बाहर निकालने वाले व्यक्ति किसी भी समय, भविष्य के वर्षों में, उपर्युक्त तौर-तरीकों के माध्यम से इस योजना में फिर से शामिल हो सकते हैं.
- भविष्य के वर्षों में पात्र श्रेणी में नए सदस्य या वर्तमान में पात्र व्यक्ति जो पूर्व में इस योजना में शामिल नहीं हुए थे भविष्य के वर्षों में इस योजना में, यदि वह जारी हो तो, शामिल हो सकते हैं.

#### **मास्टर पॉलिसी धारक:**

सहभागी सदस्यों की ओर से आईडीबीआई बैंक मास्टर पॉलिसी धारक होगा.

**कवर की समाप्ति:** निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में सदस्य का दुर्घटना कवर समाप्त हो जाएगा और उसके अंतर्गत कोई लाभ देय नहीं होगा.

- 1) 70 वर्ष की आयु (जन्मदिन के निकटतम आयु) प्राप्त करने पर.
- 2) बैंक खाते की समाप्ति अथवा बीमा जारी रखने के लिए शेष राशि की अपर्याप्तता.
- 3) यदि सदस्य एक से अधिक खाते से कवर होता है और बीमा कंपनी को प्रीमियम अनजाने में प्राप्त होता है, तो बीमा कवर को सिर्फ एक खाते तक सीमित कर दिया जाएगा और प्रीमियम को जब्त किया जा सकता है.
- 4) यदि बीमा कवर किसी तकनीकी वजह जैसे देय तारीख को अपर्याप्त शेष राशि होने अथवा किसी अन्य प्रशासनिक कारण से रुक जाए, तो उसे निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अधीन पूर्ण वार्षिक प्रीमियम की प्राप्ति पर पुनः बहाल किया जा सकता है . इस अवधि के दौरान जोखिम कवर समाप्त (सस्पेंड) कर दिया जाएगा तथा जोखिम कवर को पुनः बहाल करना बीमा कंपनी के पूर्ण विवेक पर होगा.
- 5) स्वतःनामे विकल्प दिए जाने पर बैंक उसी माह में , वांछनीय होगा कि प्रत्येक वर्ष के मई माह में, प्रीमियम की राशि की कटौती करके उसी माह ही देय राशि को बीमा कंपनी के खाते में प्रेषित कर देगा.

#### **प्रीमियम का विनियोजन**

- 1) बीमा कंपनी को बीमा प्रीमियम : रु. 10/- प्रति वर्ष प्रति सदस्य
- 2) बीसी/ माइक्रो/ कॉरपोरेट/ एजेंट को व्यय की प्रतिपूर्ति : रु. 1/- प्रति वर्ष प्रति सदस्य
- 3) बैंक को प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति : रु. 1/- प्रति वर्ष प्रति सदस्य

यदि स्थिति ऐसी हो तो, इस योजना को अगली नवीनीकरण तिथि प्रारंभ होने से पूर्व बंद किया जा सकता है.